कार्यालय नगर परिषद बानमौर जिला मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक / 2026 / 845 बामौर, दिनांक –18/05/2026

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा केन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस निकाय द्वारा अधोलिखित कार्य हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 08 नवम्बर 2025 से प्रभावी ***ISSR*** (भवन, रोड एवं पेयजल) पर आज दिनांक तक संशोधित सहित निविदा प्रपत्र अपेन्डिक्स 2.10 पर प्रतिशत दरों के आधार पर नीचे दर्शित तालिका अनुसार कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें दिनांक 22.06.2026 को सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है ।

क्र.	कार्य का नाम	ऑनलाइन टेण्डर आई.डी.	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि
01	वार्ड क्र. 05 में भूरा बाल्मीकि के मकान से कृष्णा गुर्जर के मकान तक सी.सी नाला निर्माण कार्य।	**2026_UAD_508339_1**	16,88,181/–	12,661/–	2,000/–	04 माह

शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र एवं दर ऑफर आनॅलाइन निविदा प्रकाशन से दिनांक 22.06.2026 को सायं 05:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।
2. निविदा हेतु लिफाफे जिसमें प्रथम लिफाफा (Envelope-A), निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाइन ट्रांन्जेक्शन रिसीप्ट/NEFT/RTGS प्रति एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं 200 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारुप में एफीडेविट, जी.एस.टी, फार्मएच, तथा अन्य निविदा प्रपत्र में दिये गये अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अंतिम तिथि 22.06.2026 को सायं 05:30 तक ऑनलाइन सबमिट करें। फिजिकल बिड की आवश्यकता नहीं है।
3. (Envelope-A) मेन्डेटरी दस्तावेज एवं अन्य नियत दस्तावेज ऑनलाइन ऑपन दिनांक 23.06.2026 प्रातः 10:30 बजे से।
4. जी. एस. टी के सम्बंध में संचालनायल नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के आदेश मान्य होंगे।
5. अतिरिक्त परफोर्मेन्श गारण्टी के सम्बंध में मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय के पत्र क्र. /एफ–237/2024/18–2 दिनांक 06.09.2024 के आदेश पालनीय होगे एवं अवलोकन हेतु पत्र निविदा के साथ संलग्न है।
6. सी.सी.रोड निर्माण की क्रस्ट डिजाइन, लेबिल्स वीडियोग्राफी; सीमेन्ट कॉक्रीट एम–30 की मिक्स डिजाइन तथा सीमेन्ट कॉक्रीट कार्य के सेम्पल की टेस्टिंग शासकीय एवं एन.ए.वी.एल. प्रयोगशाला में, सीमेन्ट कॉक्रीट एम–30 की कोर कटिंग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करानी होगी। टेस्ट रिपोर्ट एवं कोर कटिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ठेकेदार का भुगतान किया जावेगा।
7. परफोर्मेन्स गारण्टी के सम्बंध में अपेन्डिक्स 2.10 के प्रावधान पालनीय होंगे। देयक से रोके गये एस.डी एवं परफोर्मेन्स गारण्टी नियमानुसार डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म होने के उपरांत मुक्त की जावेगी।
8. अनुबंध सम्पादन के समय कार्य की लागत का 05 प्रतिशत एफ.डी.आर जमा करनी होगी।
9. म.प्र. राजपत्र दिनांक 13 अगस्त 2018 में नगरीय निकाय के निर्माण कार्यों के लिये वर्णित नियम लागू होंगे।
10. म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 2018 के नियम 111 के अनुसार प्रत्येक चलदेयक से 10 प्रतिशत राशि अंतिम देयक तक रोकी जावेगी।
11. अनुबंध के समय निविदा में संलग्न 200/– रुपये के स्टाम्प पर शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगी।
12. शासन से राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा। इसमे ठेकेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।
13. कार्य के देयकों से शासन नियमानुसार निर्धारित कटोत्रा किये जावेगें ।
14. उपरोक्त वर्णित कण्डिकाऐ अनुबंध का हिस्सा होगी ।
15. उपरोक्त निविदा का प्रकाशन नगरीय प्रशासन की बेवसाइट www.mpurban.gov.in पर अवलोकन कर सकते है ।
16. निविदा में किया गया कोई भी संशोधन उक्त बेवसाइड www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नही किया जावेगा। अतः संबंधित जानकारी उक्त बेवसाइट पर देखी जावें, निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में देखी जा सकती है । उपरोक्त निविदा सूचना विभाग की बेवसाइड www.mpurban.gov.in पर देखी जा सकती है।

(गीता लक्ष्मण जाटव)
अध्यक्ष
नगर परिषद–बानमौर

(ऐश्वर्य गोयल)
(उपयंत्री)
नगर परिषद–बानमौर

(नरेश सैमिल)
मु.न.पा.अधिकारी
नगर परिषद–बानमौर

Signature Not Verified
Digitally signed by NARESH SAMIL
Date: 2026.05.18 15:22:35 IST
Location: Madhya Pradesh-MP